भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 582

जिसका उत्तर गुरुवार, 21 जुलाई, 2022 को दिया जाना है

भारतीय न्यायिक सेवा

582. श्री जोस के. मणि :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय न्यायिक सेवा का गठन किए जाने के कोई प्रस्ताव हैं: यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ;

(ख) क्या जिला न्यायाधीश और उससे ऊपर के पदों पर नियुक्ति करने के लिए भारतीय न्यायिक सेवा का गठन किया जाएगा ;

(ग) क्या राज्यों के विधि सचिव और केंद्र सरकार के विधि सचिव को जिला न्यायाधीशों में से नियुक्त किया जाता है और क्या यह न्यायपालिका से कार्यपालिका की शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांतों के विरुद्ध नहीं होगा ; और

(घ) क्या भारतीय विधिक सेवाओं के यौक्तिकीकरण और भारतीय न्यायिक सेवा के सृजन की जांच के लिए एक आयोग गठित किया जाएगा ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) और (ख) : सरकार की दृष्टि में, उचित रूप से सृजित अखिल भारतीय न्यायिक सेवा संपूर्ण न्याय प्रदान प्रणाली को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है । यह अखिल भारतीय योग्यता चयन प्रणाली के माध्यम से चयनित उपयुक्त अर्हित नई विधिक प्रतिभा की भर्ती के लिए अवसर प्रदान करेगी और साथ ही साथ समाज के सीमांत और वंचित वर्गों के उपयुक्त प्रतिनिधित्व को समर्थ बनाकर सामाजिक अन्तर्वेशन के मुद्दे को संबोधित करेगी ।

अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (एआईजेएस) के गठन के लिए एक व्यापक प्रस्ताव निर्मित किया गया था और वह नवम्बर, 2012 में सचिवों की समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था । इसके अतिरिक्त, यह देश में सर्वोत्तम प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए न्यायपालिका में सीमांत वर्गों और महिलाओं से योग्य व्यक्तियों के अंतर्वेशन को भी सुकर बना सकती है । यह प्रस्ताव अप्रैल, 2013 में आयोजित मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में कार्य सूची मद के रूप में सम्मिलित किया गया था और यह विनिश्चित किया गया था कि इस मुद्दे पर और विचार करने तथा विचार-विमर्श की आवश्यकता है ।

इस प्रस्ताव पर राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों के विचार मांगे गए थे । अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन पर राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों की राय में भिन्नता थी । कुछ राज्य सरकारें और उच्च न्यायालय प्रस्ताव के पक्ष में थे जबकि, कुछ अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के सृजन के पक्ष में नहीं थे, और कुछ अन्य केंद्रीय सरकार द्वारा निर्मित प्रस्ताव में परिवर्तन चाहते थे ।

सभी स्तरों पर जिला न्यायाधीशों के पदों पर भर्ती और न्यायाधीशों/न्यायिक अधिकारियों की चयन प्रक्रिया की समीक्षा में सहायता के लिए न्यायिक सेवा आयोग के सृजन से संबंधित मामला 3 और 4 अप्रैल, 2015 को आयोजित मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन की कार्य सूची में भी सम्मिलित किया गया था, जहां इसे जिला न्यायाधीशों की शीघ्र नियुक्ति के लिए रिक्त पदों को भरने के लिए विद्यमान प्रणाली के भीतर समुचित पद्धति विकसित करने के लिए संबंधित उच्च न्यायालयों पर छोड़ने का निश्चय किया गया था । अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन के लिए प्रस्ताव उस पर प्राप्त किए गए उच्च न्यायालय और राज्य सरकारों के विचारों के साथ तारीख 05 अप्रैल, 2015 को आयोजित मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों के संयुक्त सम्मेलन की कार्य सूची में सम्मिलित किया गया था । तथापि, इस विषय पर कोई प्रगति नहीं हुई थी ।

अखिल भारतीय न्यायिक सेवा स्थापित करने के प्रस्ताव पर दोबारा पात्रता, आयु, चयन मापदंड, अर्हता, आरक्षण आदि बिंदुओं के संबंध में विधि और न्याय राज्य मंत्री, भारत के महान्यायवादी, भारत के महा-सॉलिसिटर, न्याय विभाग, विधि कार्य विभाग और विधायी विभाग के सचिवों की उपस्थिति में विधि और न्याय मंत्री की अध्यक्षता वाली बैठक में तारीख 16 जनवरी, 2017 को विचार किया गया है । अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना के लिए मार्च, 2017 में संसदीय परामर्श समिति और तारीख 22.02.2021 को एससी/एसटी कल्याण पर संसदीय समिति की

बैठक में भी विचार किया गया था । सहमति के अभाव के मद्देनजर, वर्तमान में अखिल भारतीय न्यायिक सेवा लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) और (घ) : विधि सचिव का पद एक एक्स काडर पद है और वह भारतीय विधिक सेवा नियमों द्वारा शासित नहीं होता है । किसी जिला न्यायाधीश के विधि कार्य विभाग के सचिव या राज्य सरकारों में विधि सचिव के रूप में नियुक्त किए जाने पर रोक नहीं हैं । जब अधिकारी विधि सचिव के रूप में कार्य करता है तो वह न्यायिक कार्य नहीं करता है जो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांतों के प्रतिकूल नहीं है । विधि कार्य विभाग भारतीय विधिक सेवा का काडर नियंत्रक प्राधिकारी होते हुए पणधारियों, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग तथा संघ लोकसेवा आयोग के परामर्श से कालिक रूप से भारतीय विधिक सेवा नियमों की समीक्षा करता है । इस प्रकार भारतीय विधिक सेवा के यौक्तिकीकरण के लिए पृथक आयोग की नियुक्ति अपेक्षित नहीं है ।

****